Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी

पत्रांक– A-780 /33–1 / दिनांक, झांसी, जून, 19 2019।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय– जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–26 के कि0मी0 सं0–3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौडीकरण/चार–लैन निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 14.80 हे0 एवं 945 वृक्षों के पातन की गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

संदर्भ– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी का पत्रांक–3723/15–1, दि–18.06.19।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–26 के कि0मी0 सं0–3 से 11 तक झांसी–हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौडीकरण/चार–लैन निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 14.80 हे0 एवं 945 वृक्षों के पातन की गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु ऑन लाईन प्रपोजल संख्या– एफ0पी0/यू0पी0/रोड/39827/2019, दिनांक 28.05.2019 प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी के संदर्भित पत्र दिनांक 18.06.2019 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। उक्त विषयक प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा टिप्पणी अंकित कर ऑनलाईन करते हुये विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित तीन प्रतियों में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार)तीन प्रतियों में)।

भवदीय
19.6.19
(ए0के0सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।

पृष्ठांकन संख्या– /समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 18.06.2019 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण से भिज्ञ किसी अभियन्ता को इस कार्यालय से वांछित प्रस्ताव प्राप्त कराकर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय मे प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(ए0के0सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।

16

भाग–iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। नहीं /

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। सहमत है /

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। प्रभागीय वनाधिकारी झाँसी की संस्तुति के आधार पर प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है /

दिनॉक– 19.6.2019

स्थान– झाँसी

हस्ताक्षर [signature]

नाम–

सरकारी मोहर

(एस०के०सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र०, झाँसी